किस संकल्प से ई–निविदा लागू किया गया– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका संचालन राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है के द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर उस अभिकरण द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा इस आशय का निदेश प्राप्त हुआ था कि इस योजना के अन्तर्गत अब से निर्माण होने वाले पथों के निर्माण की प्रक्रिया ई–निविदा प्रणाली के आधार पर की जाय। उस पद्धति से निविदा के निष्पादन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने का उत्तरदायी एन०आई०सी० एवं एन०आई०सी०एस०आई० को सौंपा गया था। जिसके आलोक में एन०आई०सी० द्वारा ई–निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु एक सॉफ्टवेयर GePNIC (जेपनिक) विकसित किया गया था। जिसकी मान्यता MoRD & NRRDA द्वारा प्राप्त है तथा उन्हीं संस्थाओं द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। जिसके आधार पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो के कार्यान्वयन की प्रक्रिया ई–निविदा के माध्यम से की जाने लगी। तदन्तर तत्कालीन विभागीय प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो को भी ससमय कार्यान्वित करने हेतु ई–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ही इन कार्यो का कार्यान्वयन किया जाय। उसी के आलोक में इस योजना की कार्यान्वयन की प्रक्रिया ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से सम्पादित किया जाने लगा। राज्य सरकार भी ई–निविदा प्रणाली के आधार पर कार्यो के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया। जिससे संबंधित संकल्प ज्ञापांक–एम 4–11/09–5188 वि० (2) दिनांक–15.06.2009 द्वारा ई–क्रय प्रणाली को लागू करने हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी सौंपी गई।

D.S.C. शुल्क रूपया 716.00 किस पत्र से निर्धारित है– D.S.C. शुल्क का निर्धारण National Informatic Centre Certifying Authority द्वारा किया जाता है। जिसका विवरणी उसके बेवसाईड nicca.nic.in में उल्लिखित है। यह शुल्क वर्तमान में कार्ड रिडर टोकन का शुल्क है। जो मात्र सरकारी पदाधिकारियों के लिये है।

क्या करना है/क्या नहीं करना है–

(I) <u>क्या करना है</u>

(a) NICCA द्वारा दिया गया Blank Card अथवा Token में सॉफ्टवेयर